राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली, 08 दिसंबर 2017

अधिसूचना संख्या सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.20/एमडीएंडसीईओ/2017 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वितृत प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा:

1. अनुच्छेद 6 में संशोधन

मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 6 के उप-अनुच्छेद (ii) में,खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंडों को शामिल किया जाएगा, यथा:

"(ज) संयुक्त नामों में जमा राशियां स्वीकार्य करने के मामले में प्रपत्र में जमाकर्ता या जमाकर्ताओं की बैंख खाते का ब्यौरा मांगना चाहिए।

(झ) आवेदन प्रपत्र के अंत में, लेकिन जमाकर्ता के हस्ताक्षर से पहले जमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित सहमित खंड जोड़ दिया जाएगा। "मैं एतद् द्वारा जमा की परिपक्वता पर यहां उल्लेखित मेरे निर्दिष्ट बैंक खाते में पूर्णत: मूलधन एवं ब्याज भुगतान हेतु मूलधन को नवीकृत करने/मूलधन एवं ब्याज को नवीकृत करने हेतु आवास वित्त कंपनी को अपनी स्पष्ट सहमति प्रदान करता हूं।"

व्याख्या:

जमाकर्ता द्वारा परिपक्वता निर्देश में किसी संशोधन के मामले में, बकाया राशि या तो स्वत: नवीकृत हो जाएगी या परिपक्वता पर भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि दूसरे अवधि (प्रथम स्वत: नवीकरण के बाद) हेतु परिपक्वता के मामले में, अन्यथा जमाकर्ता से किसी विशिष्ट निर्देश की अनुपस्थिति में, राशि परिपक्वता पर निर्दिष्ट बैंक खाते में स्वत: विप्रेषित कर हो जाएगा"

2. अनुचछेद 12 में संशोधन

(i) मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 12 के उप-अनुच्छेद (iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iv) आवास वित्त कंपनियों की ओर से जमा राशि की परिपक्वता की तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व जमाकर्ता को जमाराशि की परिपक्वता का ब्यौरा सूचित करना अनिवार्य है। तथापि, किसी खास परिपक्वता निर्देश की अनुपस्थिति में जमाकर्ता/ओं के नाम निर्दिष्ट बैंक खाते में विप्रेषित कर दिया जाएगा।"

(ii) मूल निर्देशों के अनुच्छेद 12 के उप-अनुच्छेद (vi) नीचे दिए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(iv) (क) बशर्ते कि, जमाकर्ता के मृत्यु होने की स्थिति में, सार्वजनिक जमा राशि उत्तरजीवी शर्त के साथ संयुक्त धारक होने के मामले में उत्तरजीवी जमाकर्ता को, या मृतक जमाकर्ता के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी/यों को, मृतक जमाकर्ता के उत्तरजीवी जमाकर्ता / नामिती / कानूनी उत्तराधिकारी/यों के अनुरोध पर, उत्तरजीवी जमाकर्ता / नामिती / कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर, और केवल मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, कंपनी की संतुष्टी पर, चुकौती की तारीख को अनुबंधित दर पर ब्याज के साथ। परिपक्वता पूर्व भुगतान किया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त बशर्ते कि निम्न परिस्थितियों के बारे में चिंतित आवास वित्त कंपनी की संतुष्टी होने पर, आकस्मिक प्रकृति के कुछ व्यय के मिलान के क्रम में-

1. 'अत्यंत लघु जमा' पूरी तरह से बिना ब्याज के ऐसे जमा की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने समाप्त होने से पहले, जमाकर्ता के अनुरोध पर, वैयक्तिक जमाकर्ताओं को परिपक्वता पूर्व भुगतान किया जा सकता है।

2. अन्य सार्वजनिक जमाओं के मामले में, जमा के मूलधन योग की राशि का पचास प्रतिशत से अधिक नहीं या 5 लाख रू., जो भी कम हो, बिना ब्याज के ऐसे जमा की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने समाप्त होने से पहले, जमाकर्ता के अनुरोध पर, वैयक्तिक जमाकर्ताओं को परिपक्वता पूर्व भुगतान किया जा सकता है; अनुबंधित दर पर ब्याज सहित शेष राशि सार्वजनिक जमाओं हेतु यथा लागू प्रचलित निर्देशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा;

   इसके अतिरिक्त बशर्ते कि गंभीर बीमारी के मामलों में, जमा की मूलधन योग की राशि का शत प्रतिशत बिना ब्याज के ऐसे जमा की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने समाप्त होने से पहले, जमाकर्ता के अनुरोध पर, वैयक्तिक जमाकर्ताओं को परिपक्वता पूर्व भुगतान किया जा सकता है;

   व्याख्या:

   1. उप-अनुच्छेद (vi) (ख) के उद्देश्य हेतु, आकस्मिक प्रकृति के व्यय में संबंधित सरकार/प्राधिकरण के द्वारा यथा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं/आपदा के कारण चिकित्सा इमरजेंसी या व्यय शामिल है।
   2. 'गंभीर बीमारी' की परिभाषा हेतु, आवास वित्त कंपनियां आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियमन, 2016 और इसके अंतर्गत एवं समय-समय पर यथा संशोधित जारी दिशा-निर्देशों के द्वारा अभिशासित होंगी।
   3. इन प्रावधानों हेतु राशि मौजूदा जमा अनुबंधों पर भी लागू होगा जहां वैयक्तिक जमाकर्ता के पास तीन महीने की समाप्ति के पूर्व जमाराशि के परिपक्वता पूर्व आहरण का अधिकार नहीं है।

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी